को अपने अपने हक-हिस्से की वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने एवं प्रार्थीगण के हक हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायला अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **अप्रार्थी संख्या 12** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा किशन नगर पटवार हल्का बैड कलां तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा संख्या 04 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 07 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 10 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा संख्या 29 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 30 रकबा 06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 31 रकबा 17 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन बेरा, खसरा संख्या 35 रकबा 61 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 36 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही दोयम व खसरा संख्या 37 रकबा 48 बीघा किस्म चाही दोयम कुल खसरा 09 कुल रकबा 180 बीघा की भूमि का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें एवं प्रार्थीगण के हक हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)